केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 12.04.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के अलग-अलग मामले में क्षेत्रीय सहायक सैन्य दुर्ग अभियन्ता एवं सीमा शुल्क के अधीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 50,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने पर सैन्य दुर्ग अभियन्ता (पूर्व) के कार्यालय, आगरा (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय में कार्यरत सहायक दुर्ग अभियन्ता को गिरफ्तार किया।

सहायक सैन्य दुर्ग अभियन्ता के विरूद्ध शिकायत पर मामला दर्ज हुआ जिसमें आरोप है कि उन्होने शिकायतकर्ता से उसके लम्बित बिलों को पास करने के लिए 50,000 रू. की घूस की माँग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं शिकायतकर्ता से 50,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

आरोपी को नामित अदालत में आज पेश किया जा रहा है।

एक अन्य मामले में, सीबीआई ने सीमा शुल्क के अधीक्षक, आई.सी.डी., पातली, जिला गुड़गॉव (हरियाणा) एवं प्राइवेट व्यक्ति को 25,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे गिरफ्तार किया।

एक शिकायत पर मामला दर्ज हुआ जिसमें आरोप है कि सीमा शुल्क के अधीक्षक ने भेजे गए प्रति माल पर 2,000 रू. की घूस की माँग की एवं शिकायतकर्ता (आई.सी.डी. पाटली, गुड़गॉव से निर्यात माल का कारोबार करने वाला सीमा शुल्क

समाशोधन एजेन्ट) को धमकी दी कि घूस न देने की स्थिति में, माल भेजने में विलम्ब होगा। घूस राशि 1000 रू. प्रति माल तय हुई।

सीबीआई ने जाल बिछाया जिसमें आरोपियों को 25,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

सेक्टर-21 गुड़गॉंव स्थित अधीक्षक के घर पर तलाशी के दौरान, 52 लाख रू. (लगभग) राशि की सावधि जमाएँ ; दो लाख रू. का नकद ; तीन अचल सम्पति से सम्बन्धित दस्तावेज ; बैंक लॉकर की चाबी एवं बैंक खाता के कागजात बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पंचकूला की अदालत में पेश किया गया एवं न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

****